संख्या-963/2017/2606/22-2-2017-17(617)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 29 दिसम्बर, 2017**

विषय:-जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी मालती पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार यादव, निवासी जनपद-बस्ती की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-35977/प्रोबेशन-7/सीमित सजा (एम 06.09.2016) दिनांक-04.10.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 04.10.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार सिद्धदोष महिला बन्दी मालती पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार यादव, ग्राम सरैया, थाना-वाल्टरगंज, जनपद-बस्ती की निवासिनी है। दहेज में फ्रीज, कूलर, वाशिंग मशीन की मांग पूरी न होने के कारण दिनांक 21.07.2007 को महिला बन्दी ने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पुत्रबधू रजनी पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, जिससे उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-288/2007 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0'08, जनपद-बस्ती के आदेश दिनांक 14.11.2011 द्वारा 12 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2016 तक 09 वर्ष 01 माह 09 दिन की अपरिहार तथा 10 वर्ष 05 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट एवं प्रोबेशन बोर्ड द्वारा रिहाई के सम्बन्ध में की गयी संस्तुति के संदर्भ में सम्यक विचारोपरान्त सक्षम स्तर पर यह पाया गया कि सिद्धदोष महिला बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किया गया है। अत: समयपूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि महिला बन्दी मालती (बन्दी संख्या-4591/2011) पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार यादव, निवासी जनपद-बस्ती के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त महिला बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से महिला बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-963/2017/2606(1)/22-2-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, बस्ती।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-963/2017/2606/22-2-2017-17(617)/2017
दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध महिला बन्दी मालती (बन्दी संख्या-4591/2011) पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार यादव, ग्राम सरैया, थाना-वाल्टरगंज, जनपद-बस्ती की निवासिनी है। दहेज में फ्रीज, कूलर, वाशिंग मशीन की मांग पूरी न होने के कारण दिनांक 21.07.2007 को महिला बन्दी ने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पुत्रबधू रजनी पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, जिससे उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-288/2007 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0'08, जनपद-बस्ती के आदेश दिनांक 14.11.2011 द्वारा 12 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2016 तक 09 वर्ष 01 माह 09 दिन की अपरिहार तथा 10 वर्ष 05 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट एवं प्रोबेशन बोर्ड द्वारा रिहाई के सम्बन्ध में की गयी संस्तुति के संदर्भ में सम्यक विचारोपरान्त सक्षम स्तर पर यह पाया गया कि सिद्धदोष महिला बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किया गया है। अतः समयपूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।